(iv) Control over pricing and distribution of steel has been dispensed with;

(v) A set of "Guidelines for Entrepreneurs in Iron and Steel Industry" were issued in October, 1992. The guidelines provide entrepreneurs comprehensive information on the policy framework, demand projections, availability of essential raw materials, infrastructural facilities, possible locations, technological capabilities existing within the country, requirement of environmental clearance for Iron and Steel projects, etc.

(vi) The public sector integrated steel plants have also taken up modernisation and expansion programmes.

इस्पात का उत्पादन

1927. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री राम जेठमलानी :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इस्पात उत्पादन की काफी संभावना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नयी इस्पात नीति की घोषणा किए जाने के बाद देश में छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए अनेकों संस्थानों ने पेशकश भी की है;

(ग) यदि हां, तो अक्तूबर, 1992 के अन्त तक ऐसे कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन आवेदनों के संबंध में अन्तिम निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं,

(घ) इन छोटे इस्पात संयंत्रों के स्थापित हो जाने से कुल कितनी अनुमानित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के बढ़ जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि ऐसा करने से देश में इस्पात की मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर के घट जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) देश की अत्यधिक जनसंख्या और इस्पात की अनुवर्ती मांग को ध्यान में रखते हुए देश में इस्पात के उत्पादन की काफी अधिक संभावना है।

(ख) और (ग) : जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ "लोहा और इस्पात" को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता से भी छूट दे दी गई है। यदि प्रस्तावित संयंत्र 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की 25 कि० मी० की सीमा भीतर हो तो ही औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। अन्य मामलों में उद्यमियों को केवल सूचना ज्ञापन (औद्योगिक उद्यम ज्ञापन) जिसमें प्रस्तावित संयंत्र का स्थान, क्षमता आदि बताई गई हो, देना अपेक्षित है।

प्रतिबंधित क्षेत्र में लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने हेतु सरकार को कोई आवेदन नहीं मिला है। तथापि, इस प्रकार के संयंत्र स्थापित करने के लिए उद्यमियों ने भारी संख्या में औद्योगिक उद्यम-ज्ञापन दिए हैं।

(घ) और (ङ) : आशा है कि देश में गौण इस्पात क्षेत्र (लघु इस्पात संयंत्रों सहित) इस्पात की मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को समाप्त करने में भविष्य में काफी अंशदान करेगा। अनुमान लगाया गया है कि 1996–97 तक गौण इस्पात क्षेत्र में परिसज्जित इस्पात का उत्पादन लगभग 110 लाख टन तक बढ़ जायेगा जो इस समय 62 लाख टन है।